न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 11 / 2024

बउनवान

जिला रसद अधिकारी, बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

श्री मोहनलाल सहरिया (पॉश कोड–8800), उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत रामपुर टोडिया, तहसील–किशनगंज, जिला–बारां (राज.) (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)
2. श्री रामसिंह ऐरवाल एड. (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक– 26.03.2025

1– प्रार्थी की ओर से जनमॉग वसूली अधिनियम,1952 के तहत प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा राशन वितरण में अनियमितता कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर कार्यालय के पत्रांक 141–149 दिनांक 22.01.2024 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया था। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा विभागीय आवंटित राशन सामग्री में से गेंहू NFSA 151563.15 किग्रा. का गबन करने एवं अप्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर खण्ड 8 क व 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानदार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर कार्यालय के आदेश कमांक 1666–1675 दिनांक 17.05.2024 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 222/2002 को निरस्त किया जाकर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/–रू. जब्त सरकार किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। तथा उक्त उचित मूल्य दुकानदार से 151563.15 किग्रा गेंहू की राशि ख़ाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र दिनांक 24.02.2020 अनुसार भारतीय खाद्य निगम की इकॉनोमिक लागत एवं विभागीय खर्चों के आधार पर निर्धारित दर 27/– रू. प्रति किलो की दर से गेंहू के पेटे 4092205/– रूपये की वसूली की जानी है। प्रार्थी द्वारा रिक्वीजेशन प्रपत्र । प्रस्तुत करने पर दिनांक 18.09.2024 को प्रपत्र–2 धारा–4 के तहत जारी किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर जनमांग वसूली अधिनियम–1952 के तहत नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा–6 के तहत नोटिस जारी किया जाकर, धारा–4 का प्रमाण पत्र संलग्न कर तलब किया गया।

3– अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश हुआ कि माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कार्यवाही के संबंध में निवेदन है कि अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार को तीन बार निलम्बित कर निलम्बन अवधि में अप्रार्थी की उचित मूल्य दुकान का अटेचमेन्ट डीलर देवीलाल व रामजीलाल राठौर को सम्भला दिया था। उक्त दोनो अटेचमेन्ट डीलरों ने अप्रार्थी के स्टॉक का गेंहू NFSA 151563.15 किग्रा. का वितरण अप्रार्थी की पोश मशीन से नहीं कर स्वंय की मशीन से किया गया जिसमें से 400 [illegible] अप्रार्थी ने श्रीमान् के आदेशानुसार वितरण रजिस्टर से वितरण किया था वह रजिस्टर [illegible] अप्रार्थी ने श्रीमान् के यहां जमा करवा दिया। इसलिये अप्रार्थी की पोश मशीन में स्टॉक गेंहू NFSA 151563.15 किग्रा. शेष है। अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार ने कोई गबन नहीं किया है। NFSA 151563.15 किग्रा. के लिये अटेचमेन्ट डीलर जिम्मेदार है। अतः वसूली कार्यवाही निरस्त फरमाकर प्रार्थी [illegible] मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत रामपुर टोडिया को राशन सामग्री सप्लाई करने का आदेश [illegible] करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.04.21 16:22:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

4– जवाब पेश होने पर हमने बहस उभयपक्ष सुनी।

5– दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा विभागीय आवंटित राशन सामग्री में से गेंहू NFSA 151563.15 किग्रा. का गबन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 222/2002 निरस्त किया जाकर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/–रू. जब्त सरकार किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। अप्रार्थी से गेंहू NFSA 151563.15 किग्रा. की राशि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र दिनांक 24.02.2020 अनुसार भारतीय खाद्य निगम की इकॉनोमिक लागत एवं विभागीय खर्चों के आधार पर निर्धारित दर 27/– रू. प्रति किलो की दर से गेंहू के पेटे 4092205/–रू. वसूल करने हेतु आदेश पारित किये जाने हेतु निवेदन किया।

6– दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार को तीन बार निलम्बित कर निलम्बन अवधि में अप्रार्थी की उचित मूल्य दुकान का अटेचमेन्ट डीलर देवीलाल व रामजीलाल राठौर को सम्भला दिया था। उक्त दोनो अटेचमेन्ट डीलरों ने अप्रार्थी के स्टॉक का गेंहू NFSA 151563.15 किग्रा. का वितरण अप्रार्थी की पोश मशीन से नहीं कर स्वंय की मशीन से किया गया जिसमें से 400 क्विं. बचा जिसे अप्रार्थी ने श्रीमान् के आदेशानुसार वितरण रजिस्टर से वितरण किया था वह रजिस्टर भी अप्रार्थी ने श्रीमान् के यहां जमा करवा दिया। इसलिये अप्रार्थी की पोश मशीन में स्टॉक गेंहू NFSA 151563.15 किग्रा. शेष है। अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार ने कोई गबन नहीं किया है। गेंहू NFSA 151563.15 किग्रा. के लिये अटेचमेन्ट डीलर जिम्मेदार है। अतः वसूली कार्यवाही निरस्त फरमाकर प्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत रामपुर टोडिया को राशन सामग्री सप्लाई करने का आदेश प्रदान करें।

7– हमने बहस अप्रार्थी पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया कि अप्रार्थी ने जवाब में अंकित किया है कि उसे तीन बार निलम्बित किया जाकर अटेचमेन्ट डीलर देवीलाल व रामजीलाल राठौर को दिया गया था। तथा उक्त दोनो अटेचमेन्ट डीलरों ने अप्रार्थी के स्टॉक का गेंहू NFSA 151563.15 किग्रा. का वितरण अप्रार्थी की पोश मशीन से नहीं कर स्वंय की मशीन से किया तथा बचे हुए 400 क्विं. गेंहू का वितरण उसके द्वारा प्रार्थी के आदेश से वितरण रजिस्टर में दर्ज कर वितरित करना अंकित किया। परन्तु अप्रार्थी ने अपने जवाब के समर्थन में ना तो अटेचमेन्ट डीलर को संभलाये गये गेंहू की रसीद पेश की ना ही प्रार्थी द्वारा वितरण रजिस्टर से गेंहू वितरित किये जाने हेतु जारी आदेश की प्रति पेश की। इसी आधार पर अप्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 222/2002 निरस्त किया गया। तथा गेंहू की मात्रा के आधार पर भारतीय खाद्य निगम की इकॉनोमिक लागत एवं विभागीय खर्चों के आधार पर निर्धारित दर 27/– रू. प्रति किलो की दर से गेंहू के पेटे 4092205/–रू. वसूली योग्य निकाली गई है।

8– अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी श्री मोहनलाल सहरिया (पॉश कोड–8800), उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत रामपुर टोडिया, तहसील–किशनगंज, जिला–बारां (राज.) से राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत राशि 4092205/–रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित वसूल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। अप्रार्थी से उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति मय प्रमाणपत्र धारा–4 जिला रसद अधिकारी, बारां एवं जिला राजस्व लेखाकार, बारां को भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 26.03.2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.04.21 16:22:58 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)